झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक रिट याचिका संख्या 703 / 2023

1. कालाचंद दुबे, उम्र लगभग 72 वर्ष, पिता;- स्वर्गीय रामनारायण दुबे
2. बिमला देवी, उम्र लगभग 77 वर्ष, पति;- कालाचंद दुबे
3. अनिल कुमार दुबे, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता;- कालाचंद दुबे
4. अंजू देवी, उम्र लगभग 38 वर्ष, पति;- अरविंद कुमार पांडे

निवास;- सभी ग्राम तेलीडीह साइड, डाकघर- चौरा वाया चास, थाना- चास, जिला बोकारो, झारखंड ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. पुलिस अधीक्षक, बोकारो, डाकघर और थाना- बोकारो स्टील सिटी, जिला बोकारो, झारखंड।
3. पिंडराजोरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, डाकघर और थाना पिंडराजोरा, जिला बोकारो, झारखंड।
4. रामरूप मंडल, पिता;- स्वर्गीय अयोध्या मंडल, निवासी तेलीडीह साइड, डाकघर -चास, थाना चास, जिला बोकारो, झारखंड। ..... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए : श्री वाई.एन. मिश्रा, अधिवक्ता
उत्तरदाता- राज्य के लिए : श्री मनोज कुमार, जीए III

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 385, 386, 504, 506/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज पिंडराजोरा थाना कांड संख्या 146/2023, दिनांक 22.07.2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। यद्यपि स्वयं पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा तैयार की गई औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में, अनुच्छेद 5 में पृष्ठ 25 पर, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि घटना का स्थान, जो तेलीडीह मोड़ 4 लेन पिन्द्रजोरा पुलिस स्टेशन, बोकारो के अंतर्गत है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, और लिखित रिपोर्ट से पता चलता है कि घटना स्थल तेलीडीह गांव में है, जो चास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण चास पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था, इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

4. दूसरी ओर, राज्य के लिए विद्वान जीए III, प्रार्थना का जोरदार विरोध करता है और प्रस्तुत करता है कि पुलिस के प्रभारी अधिकारी, ने स्वयं औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुच्छेद 5 में लिखा है, प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है और इस रिट याचिका के पृष्ठ 25 पर ही रखी गई है, कि घटना का स्थान, तेलिडीह मोड़,4 लेन में है, जो पिंडराजोरा पुलिस स्टेशन, बोकारो के अंतर्गत आती है, इसलिए, याचिकाकर्ता का तर्क है कि पिंडराजोरा पुलिस स्टेशन, बोकारो के क्षेत्राधिकार का कोई अगला स्थान नही है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया जाए। .

5. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, एक तरफ याचिकाकर्ता कहते हैं कि घटना झूठी है और दूसरी तरफ, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह घटना तेलीडीह गांव में हुई थी, जबकि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर, पुलिस द्वारा औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट

तैयार की गई है जिसमें घटना स्थल तेलीडीह मोड़, 4 लेन में दिखाया गया है और प्रभारी अधिकारी, जो एक लोक सेवक है और जिसे पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं से अच्छी तरह वाकिफ माना जाता है, ने बिना किसी अनिश्चित तरीके से उल्लेख किया है कि घटना का स्थान पिंडरजोरा पुलिस स्टेशन, बोकारो के अंतर्गत है। ऐसी परिस्थितियों में, यह अदालत याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है कि घटना का स्थान पिंडराजोरा पुलिस स्टेशन, बोकारो के भीतर नहीं है और उस आधार पर, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पिंडराजोरा थाना कांड संख्या 146 / 2023, दिनांक 22.07.2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करना है।

6. तदनुसार, यह रिट याचिका बिना किसी योग्यता के खारिज की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाo.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांकित - 14 दिसम्बर, 2023
स्मिता / ए. एफ. आर.

यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।